संख्या: 29/2016/2304/12-2-2016-309/2007

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2016

विषय: प्रदेश की प्रमुख फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु आयोजित कराये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच एवं फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि खरीफ, 2016 से प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया गया है। वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी में जनपद अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली व श्रावस्ती में आई0सी0आई0सी0आई0-लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 तथा शेष सभी 69 जनपदों में एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कृषकों को बीमा कवरेज उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु आयोजित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता के साथ ही साथ इन प्रयोगों की पारदर्शिता व विश्वसनीता सुनिश्चित कराये जाने हेतु फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया के अवलोकन हेतु जनपद की बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके संदर्भ में जनपद स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच की प्रक्रिया को सुदढ किया जाये।

(2) जनपद की अधिकृत बीमा कम्पनी को फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर अवलोकन एवं संबंधित तालिका, जिसमें फसल कटाई की सूचना राजस्व विभाग के कार्मिक द्वारा अंकित की जाती है, उस तालिका को कम्पनी को सुलभ करा दी जाये।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बीमा कम्पनियों के संबंधित अधिकारी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय उपस्थित रहने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हे नियोजित किए गए फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनायें यथा चयनित खेत, गांव का पूरा पता, संबंधित कृषक के नाम, ग्राम पंचायत, ब्लाक, तहसील का नाम, फसल कटाई प्रयोग हेतु निर्धारित तिथि,

राजस्व कर्मी के नाम की सूचना एक सप्ताह के पूर्व उपलब्ध करा दी जाये ताकि कम्पनी के संबंधित अधिकारी द्वारा इस सूचना के आधार पर फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। प्रमुख फसलों पर सम्पादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर आवश्यक संख्या में जांच को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या: 28/2016/1881/12-2-2016-309/2007 दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

2. अत: अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक मौसम में जनपद में आयोजित फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर जांच एवं जनपद की अधिकृत बीमा कम्पनी को फसल कटाई प्रयोगों की कटाई स्तर पर अवलोकन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 29 (1)/2016/2304//12-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश निर्गत करें।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in